

**भारतीय रेल सम्मेलन**  
कोचिंग दर सूची सं. 26, भाग-11 (दिनांक 01-04-2012 से लागू)  
शुद्धि पत्र सं. 01, दिनांक 18, चैत्र 1934  
**I.R.C.A.**  
**Coaching Tariff No. 26, Part-II (w.e.f. 01-04-2012)**  
**Correction Slip No. 01 Dated : 31-3-2012**

निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं :-

The following alterations are hereby made :-

शुद्धि पत्र सं. 01, दिनांक 18, चैत्र 1934

पृष्ठ सं. 4, व्याख्यात्मक टिप्पणियां, क्रम संख्या 4 में वर्तमान पैरा के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित करें :-

“4. बच्चे की टिकट और/या अन्य रियायती टिकट के मूल किराये की गणना, यदि स्पष्ट रूप से अधिसूचित नहीं है, तो उसे मूल किराये पर रियायत की दर को लागू करके की जायेगी। प्रथम श्रेणी, वातानुकूलित 2 टियर, वातानुकूलित प्रथम श्रेणी एवं जन शताब्दी, शताब्दी, राजधानी तथा वातानुकूलित दुरन्तो गाड़ियों के सभी श्रेणियों के किरायों का पूर्णांकन अगले 5 रुपये के गुणांक में किया जाएगा। अन्य सभी श्रेणियों एवं गाड़ियों के संबंध में पूर्णांकन नियमों में कोई बदलाव नहीं है, वे पूर्ववत् लागू है। अतः पूर्णांकन भारतीय रेल सम्मेलन, कोचिंग दर सूची सं. 26, भाग-1 (जिल्द -1) के नियम 127 के अनुसार होगा जोकि जनवरी 2007 से प्रभावी है।”

**टिप्पणी :-** \*2012 के वाणिज्य परिपत्र सं. 19 के पैरा 5 में निर्दिष्ट निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(रेलवे बोर्ड का पत्र संख्या 2011/टी.सी.(सी.आर.)/305/7/(भाग), दिनांक 30-3-2012).

C.S. Page No. 5, Explanatory Notes, in Sl. No. 4, for the existing Para substitute the No. 01 following :-

Dated 31-3-12 “4. The Basic Fare in case of Child tickets and/or other concessional tickets shall be computed by applying the rate of concession on the relevant Basic Fare unless explicitly notified otherwise. \* Rounding-off in case of First Class, AC 2-Tier and AC First Classes as well as in case of all classes of Jan Shatabdi, Shatabdi, Rajdhani and AC Duronto trains shall be to the next higher multiple of rupees five. In all other classes and trains, there is no change in the Rounding-off principles, i.e. as previously, the rounding-off methodology shall continue to be governed by Rule 127 of IRCA Coaching Tarrif No. 26, Part-I (Vol.-I) which is in force from January 2007.”

**Note :-** \*Instructions contained in Para 5 of CC 19 of 2012 should be referred and complied with.

(Railways Board's letter No. 2 TC(CR)/305/7(Pt.), Dated 30-3-2012).

N.R.P./R. Rd. (Pb. Bg.), Delhi-35-12,607/26-03-12-9 00 F.

शुद्धि  
पत्र  
सं.  
01,  
दिनांक  
18  
चैत्र,  
1934

पृष्ठ सं. 8, व्याख्यात्मक टिप्पणियां, क्रम संख्या 9 में वर्तमान पैरा के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित करें:-

“9. 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे निःशुल्क यात्रा करेंगे। 5 वर्ष से अधिक एवं 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों से व्यस्क यात्री के मूल किराये के अनुरूप, आधा किराया लिया जाये एवं लागू विविध प्रभारों को जोड़ने के बाद, प्रथम श्रेणी, वातानुकूलित 2 टियर एवं वातानुकूलित प्रथम श्रेणी के किरायों का पूर्णांकन अगले 5 रुपये के गुणांक में किया जाएगा। राजधानी, शताब्दी, दुरन्तो एवं जन शताब्दी गाड़ियों के संबंध में रियायत की गणना वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी और/या एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन हेतु बच्चे के टिकट पर सभी समावेशी किराये संबंधी नियम लागू रहेंगे। (संदर्भ 2012 का वाणिज्य परिपत्र सं. 19)

अन्य सभी श्रेणियों एवं गाड़ियों के संबंध में पूर्णांकन नियमों में कोई बदलाव नहीं है, वे पूर्ववत् लागू हैं। अतः पूर्णांकन भारतीय रेल सम्मेलन, कोचिंग दर सूची सं. 26, भाग-1 (जिल्द 1) के नियम 127 के अनुसार होगा जोकि जनवरी 2007 से प्रभावी है।”

(रेलवे बोर्ड का पत्र संख्या 2011/टीसी(सीआर)/305/7/(भाग), दिनांक 30-3-2012)

C.S. Page No. 9, Explanatory Notes, in Sl. No. 9, for the existing Para substitute the following  
No. 01  
Dated  
31-3-12

“9. Children under 5 years of age will be carried free of charge. Children above the age of 5 years and under 12 years of age will be charged at half the corresponding adult fare. After adding applicable miscellaneous charges, if any, this Fare will be rounded-off to the next higher multiple of Rs. 5/- in case of First Class, AC 2-Tier and AC First classes. In case of Rajdhani, Shatabdi, Duronto and Jan Shatabdi trains the existing methodology of computing concessions and/or child ticket on the relevant point-to-point all inclusive fares shall continue. (Ref. CC 19 of 2012)

In all other classes and trains, there is no change in the Rounding-off principles, i.e. as previously, the rounding-off methodology shall continue to be governed by Rule 127 of IRCA Coaching Tariff No. 26, Part-1 (Vol-I), which is in force from January 2007.”

(Railway Board's letter No. 2011/TC(CR)/305/7(Pt.), Dated 30-3-2012)

नई दिल्ली New Delhi

दिनांक 18, चैत्र 1934  
Dated 31-3-2012

आर.एम. छाबड़ा, भा.रे.या.से.  
प्रधान सचिव  
R.M. Chhabra, IRTS  
General Secretary